यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, "उज्ज्वल", महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Ujjwal",Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 2008 Certified

पत्रांक M-639/यूजेवीएनलि/05/उमप्र (मा0सं0)/अनु0–3/निगमादेश दिनांक 15.3.2024

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 12/I (2)/2021–06 (2)–02/2015 टीसी–1 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एम–605/यूजेवीएनलि/05/कार्मिक/अनु0–1/ए0सी0पी0 दिनांक 15.03.2022 के कियान्वयन के उपरान्त निगम के संज्ञान में लाया गया है कि वित्तीय स्तरोन्नयन की व्यवस्था में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में सीधी भर्ती वाले पद पर नियुक्ति/चयन के फलस्वरूप कार्मिकों को उन कार्मिकों की तुलना में, जो अपने संवर्ग में यथावत् बने हुये है, से कम वेतन प्राप्त हो रहा है जिससे कार्मिकों के वेतन में विसंगति उत्पन्न हो रही है। ऐसे कार्मिकों के तुलनात्मक वेतन हानि (Comparative loss of pay) के सन्दर्भ में दिनांक 02.12.2023 को तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबन्ध निदेशकों की आहुत संयुक्त बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त बनी सहमति के क्रम में पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या 153/का0वि0नि0/रा0वि0पा0–29/96–4 (3)/पी–86, दिनांक 03.04.1996 एवं आदेश संख्या 404/ का0वि0नि0/रा0वि0पा0–20/98–4–6(20) /पी/86 दिनांक 31.03.1998 में निहित प्राविधानों के अनुक्रम में निगमादेश संख्या 6992/उजविनिलि/एचआर/ए–1 दिनांक 26.07.2008 एवं निगमादेश संख्या 12119/यूजेवीएनलि/05/एचआर/कार्मिक/अनु0–3/एम–12 दिनांक 22.12.2012 के द्वारा पूर्व में आगमन बिन्दु (Induction Point) से समयबद्ध वेतनमान हेतु विकल्प की व्यवस्था को वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु लागू करते हुए एतद्द्वारा निम्नवत् व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

1. यदि किसी कार्मिक की सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति के उपरान्त अन्य संवर्ग के सीधी भर्ती वाले पद पर चयन प्रक्रिया के तहत पदोन्नति/नियुक्ति के फलस्वरूप आगमन बिन्दु (Induction Point) परिवर्तित होता है और उस परिवर्तित आगमन बिन्दु में समयावधि की गणना करने पर वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु जो लाभ प्राप्त होता है वह पूर्व धारित पद की सेवा के सन्दर्भ में प्राप्त लाभ से कम है, तो ऐसी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संदर्भित कार्मिक को यह विकल्प प्रदान कर दिया जाये कि वह अंतिम सीधी भर्ती के पद अथवा पूर्व सीधी भर्ती के धारित पदों में से किसी एक को अंगीकार करे।

2. उक्त विकल्प प्राप्त करने हेतु प्रभावित कार्मिक को अपने नियंत्रक अधिकारी (Controlling Officer) को प्रार्थना पत्र/प्रतिवेदन देना होगा। नियन्त्रक अधिकारी को प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसका यह दायित्व होगा कि वह प्रभावित कार्मिक के प्रतिवेदन का अपने स्तर से विधिवत परीक्षण कर अपनी संस्तुति सहित सम्बन्धित क्षेत्र के उप मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी से विधीक्षा (Vetting) कराने के उपरान्त तथा प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों से संतुष्ट होने पर विकल्प की सुविधा प्रभावित कार्मिकों को उपलब्ध करायेगें तथा सक्षम समिति द्वारा विकल्प पत्र के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत कर दिया जायेगा।

क्रमश ..2..

3. उक्त विकल्प अन्य संवर्ग में चयन प्रक्रिया के तहत पदोन्नति/नियुक्ति पर पद भार ग्रहण करने की तिथि से 90 दिन या इस आदेश के निर्गत होने के 90 दिन के अन्दर दिया जाना अनिवार्य होगा। केवल एक बार विकल्प दिये जाने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा एक बार दिये गये विकल्प को संशोधित/वापस नहीं लिया जायेगा। किसी भी दशा में दिये गये विकल्प के अनुसार किये गये वेतन निर्धारण को पुनः वापस नही लिया जा सकेगा। जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित अवधि मे विकल्प नहीं दिया जायेगा, उनके सम्बन्ध में ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु आगमन बिन्दु (Induction Point) सीधी भर्ती का अंतिम धारित पद होगा।

4. आदेश के निर्गमन की तिथि से पूर्व का न तो कोई अवशेष देय होगा और न ही कोई प्रत्याप्ति (Recovery) की जायेगी।

संलग्नक – विकल्प पत्र।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक /यूजेवीएनलि/05/उमप्र(मा0सं0)/अनु0–3/निगमादेश दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड, उज्ज्वल, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परियोजनायें)/(परिचालन)/(वित्त)/(मा0सं0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/(विद्युत यांत्रिक)/(ओ0एण्डएम0), यूजेवीएन लिमिटेड।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।
6. उप महाप्रबन्धक (आई0टी0), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को निगम की वेबसाइड शीर्षक "NIGAM's ORDERS-HR" पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. समस्त उप मुख्यलेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड।
8. प्रबन्धक (मा0सं0) अनुभाग–द्वितीय एवं चतुर्थ।

15/03/2024

(राजेन्द्र सिंह)
अधिशासी निदेशक (मा0सं0)

निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या एम–639/यूजेवीएनलि0/उ0म0प्र0(मा0सं0)/अनु0–।।। दिनांक 15.03.2024 का विकल्प पत्र।

मैं...वर्तमान पद..

जो कि वेतनमान...में (कार्यालय का नाम)..

में कार्यरत हूँ, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति हेतु :–

1. पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या 153/का0वि0नी0/रा0वि0प0–29/ 96–4(3)/पी–86, दिनांक 03.04.1996, आदेश संख्या 404/का0वि0नी0/ रा0वि0प0–20 /98–4–6(20)पी/86, दिनांक 31.03.1998, निगमादेश संख्या 6992/उजविनिलि/ एचआर/ए–1 दिनांक 26.07.2008 एवं निगमादेश संख्या 12119/यूजेवीएनलि/05/एचआर/कार्मिक/ अनु0–3/एम–12 दिनांक 22.12.2012 में निहित प्राविधानों के परिपेक्ष्य में वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति हेतु पूर्व संवर्ग के पूर्व धारित पद..दिनांक ....से अपना विकल्प चुनता/चुनती हूँ। मैं स्पष्ट रूप से समझता/समझती हूँ कि पूर्व संवर्ग के पूर्व धारित पद से वित्तीय स्तरोन्नयन का विकल्प चुनने के फलस्वरूप मुझे नवीन संवर्ग के नवीन पद से वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अथवा

नवीन संवर्ग के सीधी भर्ती के फलस्वरूप धारित पद.............................. दिनांक.............................से अपना विकल्प चुनता/चुनती हूँ। (जो प्रयोज्य न हो उसे काट दें)

2. मैं स्पष्ट रूप से समझता हूँ/समझती हूँ कि उक्त विकल्प अन्तिम (Final) व अप्रतिसहाय (irrevocable) होगा तथा किसी भी दशा में वापस नही लिया जा सकता है।

भवदीय

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

(1) हस्ताक्षर.....................................

पूरा नाम......................................

कार्यालय का नाम.................................

दिनांक ....

हस्ताक्षर...

पूरा नाम..

कार्यालय का नाम............................

दिनांक ....

(2) हस्ताक्षर...

पूरा नाम...

पदनाम...

कार्यालय का नाम................................

दिनांक...

प्रतिहस्ताक्षर